अनन्य विशेष न्यायालय (पोक्सो), जमुई

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–615 / 2026

(सोनो थाना काण्ड संख्या–82 / 2026 से सम्बन्धित)

अन्तर्गत धारा–96 भा0न्या0सं0

1. अभिषेक कुमार दास, पुत्र–राजेन्द्र रविदास , उम्र– 21 वर्ष

——आवेदक

ग्राम– खुलीया चारघरा, थाना–सोनो, जिला–जमुई, बिहार

बनाम

बिहार सरकार ——विपक्षी

(द्वारा सूचिका– पिंकी देवी, पिता–अनिल रविदास)

आदेश

Date of order of Proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with
15.07.2026	प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई हेतु लम्बित है। सुनवाई हेतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं। अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि मामले में दिनांक–19.06.2026 से आवेदक की ओर से अग्रिम जमानत याचिका को प्रचालित नहीं किया जा रहा है तथा उक्त कारण से यह जमानत याचिका न्यायालय के समक्ष कई तिथियों से लम्बित है। दिनांक – 14.07.2026 को आवेदक को अग्रिम जमानत आवेदन प्रचालित करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। आज कार्यालय लिपिक द्वारा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता से फोन के माध्यम से सम्पर्क किया गया, अधिवक्ता महोदय द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त जमानत याचिका में आवेदक की ओर से कोई निर्देश नहीं है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत आवेदन में आवेदक की कोई रूचि नहीं है। अतः प्रचालित नहीं करने के कारण यह अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है। लेखापित अनन्य विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जमुई।	

Date of Judgment/Order	15.07.2026
Date of Reserving Judgment/Order	-
Uploading Date	15.07.2026
Uploaded by	PRANAV SINHA , STENOGRAPHER

apnaupdate